ज्ञापन

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।

द्वारा उपजिलाधिकारी, ...

महोदय, गत वर्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा शासन को दिये गये 6 सूत्रीय मांगपत्र पर माननीय राजस्व परिषद की संस्तुति व शासन की सहमति के बावजूद कोई शासनादेश/नियमावली निर्गत न होने के कारण लेखपाल संवर्ग द्वारा 01 माह तक आन्दोलन किया गया। आन्दोलन के दौरान आपके द्वारा लेखपाल संवर्ग की मांगों को जायज मानते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा गया था जिसके बाद दिनांक 21 सितम्बर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के साथ की गयी वार्ता में सभी मांगों को औचित्यपूर्ण मानते हुए शीघ्र पूरा करने के निर्देश वार्ता में शामिल अधिकारियों (माननीय मुख्य सचिव व माननीय प्रमुख सचिव महोदय) को दिये गये थे। इसके बाद भी मांगें लम्बित हैं, जो निम्नवत हैं :–

01– लेखपाल पद की शैक्षिक अर्हता स्नातक करने व पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक करने एवं प्रारम्भिक वेतनमान ग्रेड–पे 2000 से बढ़ाकर 2800 किया जाना।

02– ए0सी0पी0 विसंगति दूर करना।

03– राजस्व निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती समाप्त करते हुए संशोधित राजस्व निरीक्षक नियमावली 2017 कैबिनेट से पारित कराना, लेखपालों की पदोन्नति द्वारा राजस्व निरीक्षकों के समस्त रिक्त पदों को भरना।

04– विशिष्ट परिस्थितियों में लेखपाल के निजी अनुरोध पर प्रदेश के किसी भी जनपद में स्थानान्तरण सम्बन्धी लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन।

05– लैपटॉप व स्मार्ट फोन उपलब्ध कराना।

06– वर्ष 2001 में चयनित, वर्ष 2003–04 में प्रशिक्षित किन्तु शासन/परिषद स्तर से विलम्ब के कारण दिनांक 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त लेखपालों को विज्ञप्ति/चयन/प्रशिक्षण के समय प्रभावी सेवा शर्तों के अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ प्रदान करना।

महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लिये गये निर्णय और दिये गये आश्वासन के बावजूद लेखपाल संवर्ग की कोई मांग पूरी न होने पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 11 मई 2017 को आपसे मिलकर अपनी उपरोक्त मांगें पूरी कराने का निवेदन किया था। आपके द्वारा लेखपाल संवर्ग में प्रोन्नति की खराब स्थिति एवं ए0सी0पी0 विसंगतियों पर विशेष चिन्ता व्यक्त करते हुए समस्त मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया गया था।

महोदय, आपके द्वारा दिये गये आश्वासन के 04 माह व्यतीत होने के पश्चात भी अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। महोदय, यह स्थिति तब है जबकि लैपटॉप के लिये बजट आवंटित है, वेतन उच्चीकरण, ए0सी0पी0 विसंगति, पदनाम व शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय परिषद व शासन के प्रशासनिक विभाग (राजस्व) की तर्कपूर्ण व औचित्यपूर्ण संस्तुति वेतन समिति को अक्टूबर 2016 से संदर्भित है और वेतन समिति द्वारा भी संगठन व विभाग को सुना जा चुका है। राजस्व निरीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती समाप्त करते हुए प्रोन्नति के माध्यम से पद भरने सम्बन्धी संशोधित राजस्व निरीक्षक नियमावली 2017 समस्त परामर्शी विभागों के परामर्श और महोदय के अनुमोदन के पश्चात कैबिनेट के लिये कैबिनेट नोट तैयार है किन्तु कैबिनेट में प्रस्ताव पारित नहीं कराया जा सका है। महोदय, यह भी कष्ट है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा आपको और माननीय मुख्य सचिव महोदय को वार्ता/बैठक हेतु कई बार पत्र देने के बावजूद वार्ता/बैठक का समय प्राप्त नहीं हो सका है।

महोदय, दिन–रात कार्य करने के बावजूद श्री एस0पी0 सिंह बघेल व श्री बलदेव सिंह ओलख जैसे कतिपय मंत्रियों द्वारा संवर्ग के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है और मुख्यमंत्री स्तर पर सहमति/आश्वासन के बाद भी शासन द्वारा लेखपाल संवर्ग की लम्बित मांगों के सम्बन्ध में कोई नियमावली/शासनादेश निर्गत नहीं किया जा रहा है जिससे लेखपाल संवर्ग में भारी रोष व्याप्त है।

अतः महोदय से निवेदन है कि लेखपाल संवर्ग की उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में शीध्र शासनादेश/नियमावली निर्गत कराने की कृपा करें और इसके साथ ही महोदय से यह भी निवेदन करना है कि कतिपय विधायकों/मंत्रियों द्वारा लेखपाल संवर्ग के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों पर तत्काल रोक लगायी जाये।

तहसील अध्यक्ष **तहसील सचिव**